



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166165

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 19398/2026

श्रीमती वर्षा और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनीष कुमार कश्यप, वीरेन्द्र पाल सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण, पति और पत्नी के रूप में अपने शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने हेतु प्रतिवादियों को निर्देशित करने के लिए परमादेश की रिट जारी किए जाने की मांग कर रहे हैं तथा संबंधित प्राधिकारियों को याचिकाकर्तागण को सुरक्षा प्रदान करने हेतु आगे निर्देश दिए जाने की भी प्रार्थना की गई है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्तागण बालिग हैं और यह प्रदर्शित करने के लिए कि याचिकाकर्तागण बालिग हैं, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपनी हाई

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्कूल की अंकतालिका दाखिल की है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 के संबंध में उसका आधार कार्ड दाखिल किया है। उन्होंने बिना किसी दबाव और अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से विवाह संपन्न किया है और विवाहित दंपति के रूप में एक साथ रह रहे हैं। आगे यह कहा गया है कि निजी विरोधी पक्ष तथा परिवार के अन्य सदस्य नाराज हो गए हैं और उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि उन्हें धमकाया और परेशान किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्तागण अपने विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे। याचिका में किए गए अभिकथनों का समर्थन याचिकाकर्तागण के संयुक्त शपथपत्रों द्वारा किया गया है।

4. याचिकाकर्तागण ने रिट याचिका में अभिकथन किया है कि वे पत्नी और पति के रूप में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी विरोधी पक्ष अपने परिवार के सम्मान के लिए उनकी हत्या कर सकता/सकती है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

5. यद्यपि निजी विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किए गए हैं तथा इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया गया है, किन्तु पारित किए जाने के प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, केवल निजी विरोधी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के लिए याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

6. तदनुसार, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, न्यायालय के नियमों के अनुसार वर्तमान रिट याचिका का इसी स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में यह विधि स्थापित की है कि जहां कोई लड़का और लड़की बालिग हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रहे हैं, वहां उनके माता-पिता सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; तथा भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 के मामलों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिनका उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा लगातार अनुसरण किया गया है, तथा इस न्यायालय द्वारा दीपिका और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 में भी अनुसरण किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान देवी (उपर्युक्त) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

“7. ... याचिकाकर्ता की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि वर्तमान में उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। चूंकि याचिकाकर्ता स्वाधिकारिणी है, अतः उस व्यक्ति के चयन पर जिसके साथ उसे रहना है, कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता, न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां उसे रहना चाहिए। न्यायालय अथवा याचिकाकर्ता के संबंधी भी ऐसे मामले में याचिकाकर्ता की राय या पसंद के स्थान पर अपनी राय या पसंद प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।”

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मत है कि याचिकाकर्तागण को एक साथ रहने की स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया जाता है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क करेंगे, जो याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगा।

9. निजी विरोधी पक्ष को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज कूटरचित या जाली हैं, तो उसके लिए इस आदेश को वापस लेने हेतु पुनर्विचार आवेदन दाखिल करना खुला होगा।

10. चूंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जो (2006) 2 एससीसी 578 और (2008) 1 एससीसी 180 में रिपोर्टेड है, सीमा (श्रीमती) बनाम अश्वनी कुमार, के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, याचिकाकर्तागण दो माह की अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं और यदि याचिकाकर्तागण उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा सके, तो इस आदेश के अंतर्गत प्रदान किया गया संरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्तागण के कथित विवाह पर कोई न्यायनिर्णयन नहीं किया है और यह आदेश किसी भी प्रकार से उनके विवाह की वैधता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता है।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

7 अगस्त, 2026

एस. अली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”